Re. Prorogation of J. &K. Legislature

[Mr. Deputy-Speaker]

procedure is not there, how can I allow you? (Interruption) This will be comming again I hope and you can have your full say. Kindly co-operate.

SHRI GULAM MOHAMMAD BAK-SHI: I will not ask the Prime Minister; but I beg of you to ask the Home Minister to make a statement today.

SHRI TENNETI VISWANATHAN (Vishakhapatnam): Do I take it that a statement will be made today?

MR. DEPUTY-SPEAKER: I have told the Minister of Parliamentary Affairs to convey to the Minister of Home Affairs what the Members have expressed here.

SHRI TENNET! VISWANATHAN:
And also to the Prime Minister.

SHRI GULAM MOHAMMAD BAK-SHI: Prime Minister is not concerned. It is the Home Minister who is concerned.

श्री शिव चन्द्र झा (मधुबनी) : वहां पर जब झसैम्बली की बैठक चल रही थी और एकाएक गवर्नर ने उसको प्रोरोग किया है, यह संविधान पर एक कुठाराधात है । मैं समझता हूं कि गृह मंत्री को इसके बारे में झाज एक वक्तव्य देना चाहिये । यह झाम तक दे दिया जाना चाहिये । साथ ही साथ इस पर एक लम्बी बहुस मी होनी चाहिये । मैं इसका समर्थन करता हूं।

SHRI SHEO NARAIN (Basti): Sir, I rise on a constitutional point. (Interruption) As my friend has said.. (Interruption) What is this* thing? (Interruption)

MR. DEPUTY-SPEAKER: That word will be expunged.

15 hrs.

SHRI SHEO NARAIN: The Assembly should have been adjourned sine die, then it could be prorogued.

After that President's rule will come. But instead of that, something else has been done. The Home Minister should come and explain the constitutional position. We are not concerned with Kashmir as such now. We are concerned with the constitutional point. I hope you will give a ruling from your on book which is in your hands.

15.02 hrs.

GENERAL BUDGET 1970-71—GENE-RAL DISCUSSION—Contd.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Raghuvir Singh Shastri may continue his speach.

श्री रघुवीर सिंह शास्त्री (वागपत): उपा-घ्यक्ष महोदय, मैं कल कह रहा था कि सरकार को देश के गांवों और कृषि की समस्याओं पर घ्यान देना चाहिए ।

म्राज कृषि-उपज के मुत्यों के उतार-चढ़ाव की समस्या ने एक बड़ा विकराल रूप धारण कर लिया है। हमारे देश में पिछले आठ वर्षों में थोक मूल्यों के सूचकांक के बढ़ने की दर 9 प्रतिशत वार्षिक रही है। मध्य नवम्बर, 1969 से जनवरी, 1970 के प्रत्त तक मूल्यों में जो वृद्धि हुई है उसका रेट 15 प्रतिशत वार्षिक है। परन्तु दूसरी घोर 1968-69 के मुकाबले में 1970 में, एक डेढ़ साल के बाद, कृषि की उपज, गुड़ भौर खंडसारी, का मृत्य 1/6 रह गया है माज अगर किसान छः गुना मी पैदा करता है और उसको मूल्य मिले उतना ही, तो उसको प्रपना कृषि- उत्पादन बढ़ने में उत्साह कैसे रहेगा ?

इस लिए मैं कहता चाहता हूं कि सरकार को एक स्थायी कृषि मूल्य द्वायोग की स्थापना करनी चाहिए, जिसमें किसानों का समुचित प्रतिनिधित्व होना चाहिए। टम्जं आफ रेफरेंस के रूप में ये तीन निर्देशक सिन्धात उस द्वायोग के सामने रखे जायें।